प्रेषक,

एन. सिंह सेंगर, समाजसेवी,

निवासः ताजपुर-विधूना, जनपद औरैया, उ. प्र., मोबाइल 7302757448

सेवा में,

अध्यक्ष-सचिव,

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद

प्रेषित ई-मेल कार्यालय पता पर

विशेष अनुरोध-पत्र

विषयः उच्चिशिक्षा सेवा आयोग उ.प्र.की विज्ञप्ति 50 में मनमानी आवेदन शुल्क और उसके दुर्पयोग पर अंकुश हेतु

हमारे कृषि प्रधान देश में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति अति दयनीय है। अधिकत्तर उच्चिशिक्षित युवा बेरोजगार नौकरी की तलाश में आवेदन—शुल्क जमा करते—करते कंगाली—अवसाद स्थित को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बावजूद उ.प्र. के उच्चत्तर शिक्षा—वि.वि. आयोग—बोर्ड के वेतनमोगी पदाधिकारी भर्ती आवेदनों में केंद्र व अन्य राज्यों से पृथक भारी शुल्क वसूल कर रहे हैं और प्राप्त शुल्क न जाने कहाँ व्यय कर रहे हैं।

महोदय, उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग उ.प्र. पोर्टल की विज्ञप्ति सं.50 में वर्णित आवेदन शुल्क रु.2000 पूर्णतया अनुचित है। जिस पर मेरा प्रबल विरोध है। क्योंकि जिस चयन-प्रक्रिया हेतु उच्चशिक्षा आयोग उ.प्र. ने विज्ञप्ति स.50 में आवेदन शुल्क रु.2000 व रु.1000 तथा महिलाओं—ईडब्लूसी.के लिए कोई छूट नहीं रखी है, उसी प्रक्रिया के लिए भर्ती आवेदन शुल्क बिहार राज्य उच्चशिक्षा आयोग रु.300, राजस्थान उच्चशिक्षा आयोग में रु.350 एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय चयन बोर्ड्स 300-500 रुपए ले रहे है तथा ई.डब्लू एस.सी.एस.टी.एवं महिला हेतु छूट सहित भर्ती—आवेदन निशुल्क होते हैं तथा सरकारी—बजट का भारी धन शिक्षा—वेतन पर व्यय होता है।

महोदय, जब देश के निर्धनों—दिरद्रों—असहायों और उनके प्रतिपाल्यों को देश—समाज के विकास की मुख्य धारा में लाए जाने हेतु देश की सरकारी भिर्तियों में आरक्षण छूट—व्यवस्था लागू है तथा उच्चिशिक्षा सेवा आयोग उ.प्र. के अतिरिक्त सभी राज्यों की सरकारें नौकरियों की भिर्तियों में महिलाओं व आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के आवेदकों को आवेदन में शुल्क छूट अन्य आरक्षित वर्गो—अनुसूचित जाति, अनुसूचित—जनजाति, पिछड़ी जातियों के भाँति आरक्षण लाभ दिया जा रहा है। तो उच्चिशिक्षा सेवा आयोग उ.प्र. द्वारा विज्ञप्ति सं. 50 की भिर्तियों में आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं महिला आवेदकों को शुल्क में छूट क्यों नहीं दे रहा है?

महोदय, उच्चशिक्षा सेवा आयोग उ. प्र. की विज्ञप्ति सं.50 में सह आचार्य पदों के आवेदनों में अत्यधिक शुल्क होने एवं अन्य राज्यों के उच्चशिक्षा सेवा आयोगों के समान आवेदन शुल्क न होने तथा महिला—E.W.S. पिछड़े वर्गों को शुल्क में छूट न दिए जाने के कारण उच्चशिक्षित पिछड़े, Sc., S.T. E.W.S. एवं महिला वर्ग बुरी तरह हतोत्साहित होकर आवेदन करने से वंचित जाएँगें। जो कि समानता नियम के प्रतिकूल तथा आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा है। जिस पर तत्काल जबाबदेह सुधार बिना बेरोजगार गरीबों, पिछड़ों, नारियों एवं E.W.S. को नौकरी लाम प्राप्त हो पाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

महोदय, केंद्र-राज्यों की सरकारें गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु अनेक योजनाओं चला रहीं है तथा शिक्षा, छात्रवृत्ति, शुल्कप्रतिपूर्ति, वेतन पर बजट का भारी धन व्यय हो रहा है। मिहेला, पिछड़ों, एस.सी. एस.टी.सिहत E.W.S. वर्गों के लिए आरक्षण जारी है। जिसके आधार पर केंद्रीय वि.वि., बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, केरल आदि राज्यों की शिक्षक भर्तियों में E.W.S. एवं महिला आवेदकों को शुल्क में विशेष छूट दी जा रही है। परन्तु उ.प्र. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भर्तियों में E.W.S. एवं महिला आवेदकों को शुल्क में कोई छूट नहीं दे रहा है। जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल एवं मनमानी शुल्क निरस्त होने योग्य है।

अतः आपसे सअनुरोध सुझाव है कि, उक्त तथ्यो पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग उ. प्र. की विज्ञप्ति सं.50 में वर्णित अत्यधिक आवेदन शुल्क धनराशि निरस्त कर केंद्रीय वि.वि.एवं अन्य राज्यों के उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोगों के अनुरूप आवेदन शुल्क व आवेदन शुल्क, छूट निर्धारित कर आरक्षित Sc., S.T. E.W.S. एवं महिला वर्गों के आवेदकों की शुल्क में छूट जनहित में अवश्य प्रदान करें। सधन्यवाद। आदर सहित।

दिनांक 17-02-2021

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय ई-मेल पते से प्रेषित प्रतिलिपि

1. महामहिम राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय शासन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. अध्यक्ष-निदेशक, मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमन्त्री एवं मुख्य सचिव, उ. प्र. शासन, लखनऊ।

(एन सिंह सेंगेर)

निवास-ताजपुर, बिधूना, जनपद औरैया, उ.प्र.,